रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092020-221768
CG-DL-E-16092020-221768

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2020/भाद्र 25, 1942
No. 456] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2020/BHADRA 25, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 562(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मानसिक रोग अस्पताल, रांची (वर्ग III और वर्ग IV पदों पर भर्ती) नियम, 1959 को, जहां तक उनका संबंध परिचर्या सिस्टर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में वरिष्ठ परिचर्या अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, वरिष्ठ परिचर्या अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ परिचर्या अधिकारी	58* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपए) ।	चयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) ।	प्रोन्नति: परिचर्या अधिकारी में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रुपये) में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथा-निर्धारित 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार

			किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 7 (44900-142400 रुपये) या समतुल्य में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नानुसार शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव धारण किए हुए हों: (i) रजस्ट्रीकृत परिचर्या और मिडवाइफ। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में विज्ञान स्नातक की डिग्री या परिचर्या शिक्षा और प्रशासन में डिप्लोमा; और (iii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में परिचर्या अधिकारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1) निदेशक, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान,रांची - अध्यक्ष; 2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य; 3) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा पद की भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए.12018/60/2017-एमई]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2020

G.S.R. 562(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Hospital for Mental Diseases Ranchi (Recruitment to class III and Class IV posts) Rules, 1959 in so far as they related to the post of Nursing Sister except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President is hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said post of Senior Nursing Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Senior Nursing Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule:

   Provided that the upper age-limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

4. **Disqualifications.–** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification of the post.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Nursing Officer	58* (2020) * subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', (Non-Gazetted), Non-Ministerial.	Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600 – 151100).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short term contract).	Promotion: Nursing Officer in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900 -142400/-)with five years regular service in the grade and having successfully completed training of 2 to 4 weeks as prescribed by the Department. **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including Short Term Contract):- Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutes:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in level-7 in the pay matrix (Rs 44900-142000) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as follows: (i) registered Nurse and Midwife. (ii) B. Sc. Degree in Nursing or Diploma in Nursing Education and Administration from a recognised University or Institution; and (iii) two years experience as Nursing Officer in a recognised hospital or institute. **Note :-** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi. – Chairman; 2. Chief Medical Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi –Member; 3. Chief Administrative Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post by deputation (including short term contract).

[F. No. A.12018/60/2017-ME]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA